



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 7,500/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0-454/15 धारा-323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ श्रीधर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गढ़ा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 7,500/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक विजय
सिंह



विवेचक-
सीओ उमरदराज
खान



पैरोकार
थाना-सिलोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा